न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

कासीन अधिकारी :– सौरभ स्वामी आई.ए.एस.

उनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 029/2007

1 भानूप्रताप पुत्र श्री भूपराम आयु लगभग 43 वर्ष जाति बिश्नोई निवासी चक 1 डी छोटी, (साधूवाली), तहसील व जिला श्रीगंगानगर। – मृतक जरिए वारिसान

1.1 श्रीमति मैना देवी माता स्वर्गीय श्री भानूप्रताप पनि श्री भूपराम जाति बिश्नोई निवासी चक 1 डी. छोटी, साधूवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

1.2 इमानती देवी धर्मपत्नि स्वर्गीय श्री भानूप्रताप जाति बिश्नोई निवासी चक 1 डी. छोटी, साधूवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

1.3 उर्मिला देवी पुत्री स्वर्गीय श्री भानूप्रताप पत्नि श्री पवन कुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 3 के डब्लयू.एस.एम., तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

1.4 लिछमा देवी पुत्री स्वर्गीय श्री भानूप्रताप पत्नि श्री रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी सतजंड़ा, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

1.5 सुनील कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री भानूप्रताप जाति बिश्नोई निवासी चक 1 डी. छोटी, साधूवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

1.6 अनिल कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री भानूप्रताप जाति बिश्नोई निवासी चक 1 डी. छोटी, साधूवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 जोराराम
2 बृजलाल
3 हरचन्द

} पिसरान श्री पोलाराम अकवाम जाति बिश्नोई निवासीयान चक 1 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर। (डिलीट आदेश दिनांक 01.03.2017)

4 रामस्वरूप पुत्र श्री पोलाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 1 वाई, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 आर.टी.ए. घोषणा एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री दिनेश छाबड़ा अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री ओमप्रकाश बत्तरा अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 4

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 04.02.2019

वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 3 डी छोटी की खतौनी संख्या 20/18 मुरब्बा नम्बर 54 किला का किला नम्बर 17/1 के 0.127 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं, उक्त भूमि को आगे वाद पत्र में वादाधीन कृषि भूमि के नाम सम्बोधित किया गया है।

तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 3 डी छोटी की खतौनी संख्या 20/18 के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 17/2 के 0.126 हैक्टर कृषि भूमि वादी के दादा हनुमान पुत्र सदासुख के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिसका वादी वसीयत की रूह से खातेदार कृषक हो चुका है एवम् अपनें पिता व दादा के जीवनकाल से ही उक्त भूमि पर साधिकार बतौर खातेदार काबिज है।

लगातार

वादी के पिता भूपराम एवं दादा हनुमान का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादीगण चक 1 डी में निवास करते है, प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज वादाधीन कृषि भूमि पर अर्सा चालिस वर्ष से भी अधिक समय से अर्थात प्रारम्भ से ही कब्जा पूर्व में वादी के दादा एव पिता का तथा उनके देहान्त उपरान्त से निरन्तर, शाति पूर्वक एवं बिना किसी रूकावट के वादी का चला आ रहा है वादी ही वादाधीन कृषि भूमि का लगान राज्य सरकार को अदा कर रहा है एवम् वादी ही सिंचाई सुविधा का शुल्क अदा कर रहा है पानी की पर्ची एवम् मामला की पर्चीयां वादी के पास है, जो वाद का आधार है एवं संलग्न वाद पत्र है।

प्रतिवादीगण की वादाधीन कृषि भूमि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 1 डी छोटी के खतौनी संख्या 20/18 मुरब्बा नम्बर 54 का किला नम्बर 17/1 के 0.127 हैक्टर कृषि भूमि पर प्रारम्भ से ही अर्थात अर्सा करीब चालीस वर्ष से कब्जा लगातार बिना किसी रूकावट के जग जाहिर एवं प्रतिवादीगण के ज्ञान से वादी का एवम् पुर्व वादी के पिता एवम् दादा का चला आ रहा है प्रतिवादीगण को वादी के पूर्वजों ने कब्जा से बाहर कर दिया था वर्तमान में वादी का कब्जा वादाधीन कृषि भूमि पर बारह वर्ष से भी अधिक समय से निरन्तर, जगजाहिर एवं शान्तिपूर्वक होने के कारण मुखालफाना हो चुका है तथा वादी वादाधीन भूमि, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में महज प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है, का मुखालफाना कब्जा के आधार पर स्वतः ही खातेदार हो चुका है तथा जरिये माननीय न्यायालय इस अमर की घोषणा करवा पाने का अधिकारी है, वादी के पूर्वजों ने अर्सा करीब 40 वर्ष पूर्व ही प्रतिवादीगण को वादाधीन कृषि भूमि के कब्जा से बाहर कर दिया था इसका ज्ञान प्रतिवादीगण को बाखूबी है इसके खिलाफ प्रतिवादीगण नें आज तक अर्थात सन् 2007 तक कोई विधिक कार्यवाही बेदखली की वादी के खिलाफ किसी भी न्यायालय में नहीं की इसलिये वादी होस्टाईल ऑनर हो गया है, तथा वादाधीन कृषि भूमि का मुखालफाना 'कब्जा के आधार पर स्वतः ही खातेदार हो गया है।

वादाधीन कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा प्रतिवादीगण का नहीं रहा तथा ना ही कभी कब्जा वादी से लिये जाने का कोई प्रयास प्रतिवादीगण द्वारा किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा कभी वादाधीन कृषि भूमि को काश्त नहीं किया गया ना ही प्रतिवादीगण द्वारा कभी कोई लगान राज्य सरकार को अदा किया गया। सिंचाई सुविधा हेतू पानी की पर्ची वादी को प्राप्त होती है तथा जिसका उपयोग वादी निरन्तर जग जाहिर कर रहा है। भौजिक रूप से कब्जा भी वादी का ही है, वादी ही राज्य सरकार को उक्त भूमि की लगान राशि अदा कर है।

प्रतिवादी के नाम से महज कागजात माल में कृषि भूमि अंकित है, जबकि उनका न भी कब्जा रहा तथा ना ही उन्होंने कभी कब्जा लेने का प्रयास किया प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा प्राप्त करने की कोई कार्यवाही समयावधि में नहीं करने के कारण एवं वादी के स्वतः ही मुखालफनामा कब्जा के आधार पर खातेदार हो जाने के कारण तथा वादी के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात करने के आशय से प्रतिवादी संख्या 4 रामस्वरूप ने वादाधीन कृषि भूमि का दिनांक 30.05.72 को बंटवारानामा प्रतिवादीगण के मध्य हुआ होने के तथ्य ब्यान कर धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज करने हेतू प्रार्थना पत्र माननीय के न्यायालय में प्रस्तुत किया जबकि ऐसे प्रार्थना पत्र अथवा तथाकथित बंटवारानामा जिस पर आज दिनांक तक एक्ट अपोन नहीं हुआ है, से प्रतिवादी सख्या 4 को कोई विधिक अधिकार वादाधीन कृषि भूमि में प्राप्त नहीं होते हैं। उक्त दुरूस्ती के प्रार्थना पत्र में माननीय न्यायालय द्वारा तहसील रिपोर्ट मंगवाये जानें पर मौका की कब्जा काश्त की रिपोर्ट वादी के पक्ष में आने पर तथा इसके उपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा वादी को नोटिस दिये जाने पर वादी को प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा की जा रही दुरस्तीकी कार्यवाही की जानकारी हुई। वादी के कब्जे की जानकारी गांव के समस्त व्यक्तियों को है विवादित भूमि पर वादी की फसल काश्तशुदा है।

लगातार

प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा लेने हेतू कभी कोई कार्यवाही वादी के खिलाफ नहीं की इसलिये वादी का कब्जा वास्तविक स्वामी के खिलाफ प्रतिकूल हो चुका है वादी इस आधार पर खातेदारी हुकूक प्राप्त करने का एवं वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 4, जो कि अत्यन्त ही लालचवश है तथा कभी भी वादाधीन भूमि पर काबिज नहीं हुआ ना ही चक हाजा में आबाद हुआ, अब अर्सा तीन माह पूर्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर वादाधीन कृषि भूमि अपने नाम से अंकित करवाकर नाजायज फायदा उठाने की फिराक में है एवं वादी के कब्जा काश्त में बेजा तौर से मदालखत करने, वादाधीन कृषि भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाकर रहन बैय दीगर तरीके से मुन्तकिल करने की फिराक में है यदि प्रतिवादी संख्या 4 अथवा समस्त प्रतिवादीगण अपने इस मन्सूबे में कामयाब हो जाते है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा वादी अपने विधिक अधिकारों से महरूम हो जायेगा एवं इससे आईन्दा मुकदमाबाजी बढेगी तथा वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। वादी अपने कब्जा को सुरक्षित रखने हेतू स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी है।

वादाधीन कृषि भूमि पर वादी का कब्जा मुखालफाना हो चुका है। जिसकी बाखूबी जानकारी प्रतिवादीगण को है इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा आज तक कोई कार्यवाही बेदखली की वादी के खिलाफ आज तक नहीं की गयी। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को भी कई बार यह निवेदन किया कि वादी का कब्जा वादाधीन कृषि भूमि पर मुखालफाना हो चुका है एवं राजस्व रिकॉर्ड में वादी को खातेदार मानकर इन्द्राजात करवा देवें एवं प्रतिवाद संख्या 4 अपने प्रार्थना पत्र को विदड्रा कर लेवे लेकिन प्रतिवादीगण पूर्व में आज कल कहकर टालते रहे तथा अन्त में दिनांक 30.01.2007 को ऐसा करने से कतई ईन्कार हो गये बस यही बिनाये मुखास्मत खिलाफ प्रतिवादीगण वादी को हासिल है।

वादाधीन कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है एवं कृषि भूमि के सम्बन्ध में अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है इसलिये वाद सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है।

लिहाजा वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) डिक्री घोषणात्मक बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे, कि वादी वादाधीन कृषि भूमि वाके तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 1 डी छोटी की खतौनी संख्या 20/18 मुरब्बा नम्बर 54 का किला नम्बर 17/1 के 0.127 हैक्टर कृषि भूमि का मुखालफाना कब्जा के आधार पर खातेदार है, तथा उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण का नाम डिलीट किया जावे।

(ख) डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादी के साधिकार कब्जा काश्त की भूमि वाके तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 1 डी छोटी की खतौनी संख्या 20/18 मुरब्बा नम्बर 54 का किला नम्बर 17/1 के 0.127 हैक्टर कृषि भूमि में किसी भी प्रकार से बेजा तौर से मदालखत करनें एवम् किसी भी व्यक्ति को रहन बैय अन्य तरीके से मुन्तकिल करनें से बाज व ममनू रहे।

(ग) अन्य कोई दादरसी करीनें इन्साफ मुफीद वादी हो अता फरमाई जावे।

(घ) वाद का व्यय वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर जबाब दावा प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि कर निवेदन है कि दावा की मद संख्या 1 व 2 स्वीकार है, मद संख्या 3 जिस प्रकार से

लगातार 4

की गई है स्वीकार नही है चक 1 डी छोटी की खतौनी संख्या 20/18 मुरब्बा नम्बर 54 किला नम्बर 17/1 के 0.127 हैक्टर अप्रार्थीयान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से हिस्सा बराबर बराबर दर्ज है किन्तु वादाधीन भूमि व अन्य भूमि का प्रतिवादीगण 2 ता 4 के य दिनाकं 30.05.1972 को बटवारा हो गया था बटवारा नाम रजिस्टर्ड है। बटवारनामा के नुसार चक 1 वाई की भूमि प्रतिवादीगण 1 ता 4 के नाम से अलग अलग खाता कायम किया जाकर प्रतिवादीगण 1 ता 4 के नाम से अलग अलग इन्द्राज हो गया किन्तु चक 1 डी छोटी की वादाधीन भूमि का इन्द्राज प्रतिवादीगण 1 ता 4 के नाम से राजस्व अधिकारीयों की गलती से अलग अलग खाता कायम किया जाकर अलग अलग इन्द्राज ना होकर मुश्तर्का खाता ही दर्ज चला आया जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 4 रामस्वरूप नें दुरूस्ती जमाबन्दी के लिये श्रीमान न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया इस पर निर्णय दिनाक 25.04.2007 को किया गया। इन्तकाल भी हो चुका है इस प्रार्थना–पत्र के साथ समस्त दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश की गई। वादी के दादा आदि की वसीयत के सबंध में व उनकी भूमि के सबध में प्रतिवादीगण को कोई ज्ञान नहीं है, ना ही प्रतिवादीगण का खैतानी संख्या 20/18 मुरब्बा नम्बर 54 किला नम्बर 17/2 के 0.126 हैक्टर से कोई सबंध ही है।

दावा की मद संख्या 4 में यह स्वीकार है कि वादी के पिता व दादा का देहान्त हो चुका है, यह कहना गलत है कि प्रतिवादीगण चक 1 वाई में निवास करते हैं बल्कि वह दोनो ही चको 1 वाई व 1 डी छोटी में रहते हैं व कास्त करते हैं। वादी के दादा की किसी भूमि पर वादी का कब्जा होने से हम प्रतिवादीगण की भूमि मुरब्बा नम्बर 54 के किला न 17/1 के 0.127 हैक्टर पर वादी का कब्जा नही माना जा सकता है ना ही रहा है। मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 17/1 के 0.127 हैक्टर को प्रतिवादी के दादा हनुमान से हिस्सा ठेका पर कास्त करवाते रहे तथा वह निरन्तर हिस्सा ठेका देता रहा अन्तिम बार 13.04.2005 से 13.04.2006 तक भी हनुमान पुत्र सदासुख दादा दादी को हिस्सा ठेका पर प्रतिवादी संख्या रामस्वरूप ने दी थी क्योंकि मुताबिक बटवारा उक्त भूमि रामस्वरूप के हिस्सा में आई हुई है दौराने ठेका अवधि 29.09.2005 को हनुमान की मृत्यु नहर में गिरनें से हो गई थी, जिसके सम्बंध में यह आम चर्चा है, कि उसनें आत्महत्या कर ली थी, हनुमान से प्रतिवादीगण का कभी भी हिस्सा ठेका के बारे में कोई विवाद नहीं हुआ हनुमान की मृत्यु के बाद वादी के ठेका के अनुसार हनुमान के स्थान पर कास्त करना शुरू कर दिया हुआ है, तथा यह विश्वास दिलाया कि वह हिस्सा ठेका देगा। इस प्रकार से उसका कब्जा वर्ष 2005–06 में हिस्सा ठेका के आधार पर दादा के स्थान पर रहा था उसके बाद उसने हिस्सा ठेका अदा नहीं किया इस प्रकार से अब कब्जा नाजायज है तथा प्रतिवादी राम स्वरूप कब्जा पाने का अधिकारी हैं तथा इसके लिए काउन्टर कलेम भी पेश कर रहा है। इस मद में शेष तथ्य भी गलत व निराधार दर्ज करवाये गये है, जो कि स्वीकार नहीं है यह भी निवेदन है, कि यह तथ्य इसलिए गलत है कि वादी के पिता रूपराम का देहान्त 20–25 साल पहले कतल हो जाने से हो गया था अतः वादी का यह कहना कि उक्त भूमि पर हनुमान का व उसके पिता का कब्जा चला आया गलत है पिता का देहान्त तो 20–25 साल पहले ही हो गया था प्रतिवादी ने वादी के दादा हनुमान को ही भुमि हिस्सा ठेका पर दी वादी के पिता को कभी नहीं दी गई ना ही उसका कब्जा ही रहा। वादी के पिता का देहान्त 20–25 साल पहले हो जाने से यह तथ्य स्पष्ट गलत हो जाता है कि वादी के पिता का कब्जा रहा हो वर्तमान में वादी का कब्जा हनुमान को हिस्सा ठेका पर देने के कारण है तथा वादी नें जानबुझ कर हिस्सा ठेका देना बन्द कर दिया है, अतः उनका कब्जा नाजायज है, वह काबिल बेदखली के है तथा प्रतिवादी संख्या 4 कब्जा पानें का हकदार है, हनुमान नें दिनांक 29.09.2005 को ही आत्महत्या कर लेनें से हिस्सा ठेका ना देनें से अतिक्रमी के रूप में कब्जा है वह लालचवश है, तथा इसी कारण गलत दावा लाया है, जो कि मय खर्चा खारिज करनें के है।

लगातार

दावा की मद संख्या 5 भी गलत है, अतः स्वीकार नहीं है, तमाम तथ्य उपर की मदों में अर्ज किए जा चुके है, उक्त भूमि मुरब्बा नम्बर 54 के किला नंम्बर 17/1 के 0.127 हैक्टर प्रतिवादीगण 1 ता 4 की होने व अन्य भूमि के साथ इसका विभाजन होनें पर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के हिस्सा कब्जा में आई तथा उक्त भूमि को वादी के दादा हनुमान ने हिस्सा ठेका पर करत करवाया जाता रहा तथा वह निरन्तर हिस्सा का ठेका देता रहा कभी विवाद नही रहा अन्तिम बार दिनाक 13.04.2005 से 13.04.2006 तक के लिये हिस्सा ठेके पर हनुमान को दी तथा उसके द्वारा आत्महत्या ठेका अवधि में कर लेने से वादी के हिस्सा ठेका देने के अश्वासन पर उसने शेष अवधि में कास्त किया व उसके बाद हिस्सा ठेका देना बन्द कर दिया अतः वह अतिक्रमी है। इस प्रकार से कब्जा वास्तव में प्रतिवादी का ही चला आया वही ठेका पर कास्त करवाता रहा तथा हनुमान करता रहा अतः किसी प्रकार कब्जा वादी का मुखलफनामा का प्रश्न पैदा नहीं होता इसके अलावा कागजात राज में 1 वाई का खाता अलग अलग कायम हो गया व 1 डी छोटी का मुश्तर्का खाता में दर्ज रहा अतः मुश्तरका खाता में प्रतिकूल कब्जा का सिद्धान्त कानुनन लागू नहीं करता है। अतः वादी किसी प्रकार से अपने आप को उक्त रकबा का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी नहीं है। जब हनुमान सहमति से हिस्सा ठेका पर भूमि कास्त करता व हिस्सा ठेका अदा करता रहा तो विधिक कार्यवाही की कोई जरूरत ही कानुनन नही हो सकती है। तथा वादी का कब्जा मुखालफाना का प्रशन पैदा नहीं होता है।

दावा की मद संख्या 6 कतई स्वीकार नही है, कब्जा वादाधीन भूमि पर प्रतिवादी का ही रहा तथा वह हिस्सा ठेका पर कास्त करवाता रहा वादी का किसी प्रकार से कब्जा का प्रश्न नही है। वादी ने केवल 13.04.1995 से 13.04.2006 की अवधि के दौरान उसके दादा का देहान्त होने से शेष अवधि के लिए भूमि कास्त की जो कि यह विश्वास दिला कर वह भी हिस्सा ठेका देता रहेगा मगर आगामी साल ना देने के कारण कब्जा नाजायज हो गया व उसने लालचवश दावा किया है। प्रतिवादी ही मामला आदि जमा करवाता रहा है।

दावा की मद संख्या 7 भी गलत होने से स्वीकार नहीं है दिनाक 30.05.2002 को बटवारा हुआ उसका एकट अपोन भी हुआ तथा चक 1 वाई का रकबा अलग अलग दर्ज हो गया चक 1 डी छोटी का राजस्व कर्मचारीयों की गलती से अलग दर्ज नहीं है। इस कारण दुरुस्ती का सही प्रार्थना – पत्र पेश किया जो कि स्वीकार होकर इन्तकाल हो गया। अतः प्रतिवादी ही भूमि का खातेदार व हकदार है।

दावा की मद संख्या 8 स्वीकार नहीं है तमाम तथ्य उपर की मदों में दर्ज करवाए जा चुके है वादी का किसी प्रकार से प्रतिकुल कब्जा नही बल्कि नाजायज कब्जा है तथा काबिल बेदखली के है।

दावा की मद संख्या 9 मी स्वीकार नहीं है वादी का कब्जा नाजायज है तथा वह बतौर अतिक्रमी काबिज है व काबिल, बेदखली के है तथा इसके लिए काउन्टर कलेम अलग से आदेश 8 नियम 6 के अन्तर्गत पेश किया जा रहा है। वादी लालच वश हैं तथा गलत तौर से दावा लाया गया है।

दावा की मद संख्या 10 कतई स्वीकार नहीं है दिनाकं 30.01.2007 को अथवा अन्य किसी रोज किसी प्रकार से वादकारण वादी को हासिल नहीं हुआ है दावा गलत किया गया है।

दावा की मद संख्या 11 कानुनी है। वादी का कब्जा नाजायज है वह काबिल बेदखली के हैं, लिहाजा जवाब दावा पेश करके अर्ज है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज किया जाकर कब्जा प्रतिवादी संख्या 4 को दिलाया जावे काउन्टर कलेम स्वीकार कर डिक्री किया जावे।

लगातार 6

प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपनें जबाब दावा के साथ प्रस्तुत काऊन्टर क्लेम में कथन किया कि उक्त अनवानी दावा में जवाब दावा पेश किया गया है, जिसमे अंकित समस्त तथ्यों को इस काउन्टर कलेम के तथ्यों के रूप में ही पढ़ा जावे जिससे कि तथ्यों की पुनरावृति ना हो सके।

आराजी जेर बहस चक 1 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 17/1 का 0.127 हैक्टर बटवारानामा दिनाक 30.05.1972 रजि. शुदा के अनुसार प्रतिवादी रामस्वरूप के हिस्सा में आया हुआ है व कब्जा में चला आ रहा था वह इसको वादी भानुप्रताप के दादा हनुमान से हिस्सा ठेके पर कास्त करवाता रहा अन्तिम बार दिनाक 13.04.2005 से 13.04.2006 तक की अवधि के लिए हनुमान को हिस्सा ठेका पर दिया गया मगर उसकी इस अवधि के दौरान ही दिनांक 29.09.2005 को मृत्यु हो जाने (आत्महत्या करने का पता चलने) पर वादी भानु प्रताप ने यह विश्वास दिलाया कि वह आयंदा हिस्सा ठेका देता रहेगा अतः उसने कास्त की मगर लालच वश उसने हिस्सा ठेका आयंदा ना देकर नाजायज कब्जा कर लिया है तथा वह अब बतौर अतिक्रमी काबिज है तथा काबिल बेदखली के है।

प्रतिवादी रामस्वरूप उक्त आराजी का कब्जा भानुप्रताप से पाने का वर्ष 2006–2007 से ता बेदखली तक मीन प्रोफिटस लगान का 15 गुना भी पाने का हकदार है अतः काउन्टर कलेम स्वीकार कर डिक्री किया जाकर कब्जा व मीन प्रोफिटस रामस्वरूप प्रतिवादी को वादी भानु प्रताप से दिलाया जाना जरूरी है।

लिहाजा काउन्टर कालेम मय शपथ–पत्र दो प्रतियों में पेश करके अर्ज है, कि काउन्टर कलेम मय खर्चा स्वीकार कर रामस्वरूप को कब्जा उक्त आराजी का भानुप्रताप से दिलाये जानें व वर्ष 2006–2007 से तो बेदखली तक का मीन प्रोफिटस लगान का 15 गुणा व खर्चा मुकद्मा दिलाये जानें के आदेश फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत काऊटर क्लेम का वादी द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसके अर्न्तगत कथन किया कि मद संख्या 1 काउन्टर क्लेम में अंकित तथ्यों में से महज काउन्टर क्लेम प्रस्तुत होने के तथ्य स्वीकार है मद के शेष तथ्य स्वीकार नहीं है एवं ना ही जवाबदावा के तथ्यों को काउन्टर क्लेम के साथ पढ़ा जा सकता है। प्रार्थी/प्रतिवादी जिन तथ्यों के आधार पर यदि कोई अनुतोष चाहता है तो उसे वे तथ्य काउन्टर क्लेम में अंकित करने चाहिये, जवाबदावा के तथ्यों को काउन्टर क्लेम के साथ नहीं पढा जा सकता है।

मद संख्या 2 काउन्टर क्लेम में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से अभिकथित किये गये है, स्वीकार नहीं है। तहसील श्रीगंगानगर के चक 1 डी छोटी का मुरब्बा नम्बर 54 का किला नम्बर 17/1 का 0.127 हैक्टर भूमि प्रार्थी/प्रतिवादी रामस्वरूप के कब्जा में चले आने के तथ्य एवं उक्त भूमि प्रार्थी/वादी के दादा हनुमान से हिस्सा ठेका पर काश्त करवाने के तथ्य गलत ब्यानी स्वीकार नहीं है। अन्तिम बार दिनांक 13.04.2005 से 13.04.2006 तक की अवधि के लिए हनुमान को हिस्सा ठेका पर देने के तथ्य भी आधारहीन एवं साक्ष्य विहिन होने के कारण तथा महज कपोल कल्पित तथ्य होने के कारण स्वीकार नहीं है। हनुमान के देहान्त उपरान्त प्रार्थी/प्रतिवादी को प्रार्थी/वादी द्वारा आयन्दा हिस्सा ठेका देते रहने के कथन करना गलत ब्यानी होने के कारण कतई स्वीकार नहीं है एवं नाजायज कंब्जा करने के तथ्य भी गलत ब्यानी होने के कारण स्वीकार नहीं है। प्रार्थी/वादी उक्त भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज नहीं है वरन् निरन्तर, लगातार, शान्तिपूर्वक एवं प्रार्थी/प्रतिवादी की जानकारी से अर्सा पचास वर्ष से पूर्व में वालिद वर्तमान में प्रार्थी/वादी काबिज होने के कारण मुखालफाना कब्जा के आधार पर स्वतः ही खातेदार कृषक हो चुका है एवम् साधिकार काबिज काश्त है। प्रार्थी/वादी का कब्जा निरन्तर, शान्तिपूर्वक खुला एवम् सभी गांव वालों की तथा प्रार्थी/प्रतिवादी की जानकारी से बारह वर्ष से अधिक समय से होनें के कारण प्रार्थी/वादी

विवादित भूमि का खातेदार हो चुका है। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा नियम 12 वर्ष की अवधि में बेदखली की कोई कार्यवाही ना करने से प्रार्थी/प्रतिवादी के समस्त अधिकार समाप्त होकर प्रार्थी/वादी में निहित हो चुके है इसलिये काउन्टर निरस्त किये जाने योग्य है।

मद संख्या 3 काउन्टर क्लेम में वर्णित तथ्य गलत ब्यानी होने के कारण स्वीकार नहीं है। प्रार्थी/प्रतिवादी न तो विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त करने का है एवं ना ही किसी भी प्रकार से कोई मीन प्रोफिट प्राप्त करने का अधिकारी है, प्रार्थी/प्रतिवादी के विधिक अधिकार अर्सा पूर्व ही समाप्त हो चुके है इसलिये काउन्टर क्लेम सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

वादी द्वारा अपनें जबाब काऊन्टर क्लेम में अतिरिक्त कथन किये कि काउन्टर क्लेम जाहिरा तौर से बाहर मियाद प्रस्तुत किया गया है। इसलिये निरस्त किये जाने योग्य है। लिहाजा जवाब काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि काउन्टर क्लेम प्रार्थी/प्रतिवादी रामस्वरूप सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण मे पत्रावली का अवलोकन किया जाकर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :—

1. आया कि वादी चक 1 डी छोटी खतौनी संख्या 20/18 मुरब्बा नम्बर 54 में किला नम्बर 17/2 के 0.126 हैक्टर कृषि भूमि वादी के दादा हनुमान के नाम दर्ज थी जिसकी वसीयत के रूह से खातेदार काबिज काश्त है ?

— — वादी

2. आया कि विवाद ग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा अरसा करीबन 40 साल से लगातार चला आ रहा है इसलिए वादी मुखालकाना कब्जा के आधार पर खातेदार है ?

— — वादी

2ए आया कि वादी इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करनें का अधिकारी है, कि प्रतिवादीगण वादी के साधिकार कब्जा काश्त की भूमि वाके तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 1 डी छोटी की खतौनी संख्या 20/18 मुरब्बा नम्बर 54 का किला नम्बर 17/1 के 0.127 हैक्टर कृषि भूमि में किसी भी प्रकार से बेजा तौर से मदालखत करनें एवम् किसी भी व्यक्ति को रहन बैय अन्य तरीके से मुन्तकिल करनें से बाज व ममनू रहे ?

— — वादी

3. आया कि वादी तथा प्रतिवादीगण के बीच में बंटवारा दिनांक 30.05.1972 किया गया जिसके तहत उपरोक्त रकबा प्रतिवादीगण को हिस्सा में मिला था इसलिए जमीन के हकदार प्रतिवादीगण है ?

— — प्रतिवादीगण

4. आया कि वादी द्वारा जमीन हिस्सा ठेका पर काश्त करता था। हनुमान की दिनाक 29.09.2005 को मृत्यु होने के बाद वादी ने जमीन पर नाजायज कब्जा किया है ?

— — वादीगण

5. आया कि वादी द्वारा उपरोक्त जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है। प्रतिवादीगण कब्जा वादी से प्राप्त करने के अधिकारी है ?

— — प्रतिवादीगण

6. यह कि प्रतिवादीगण वादी से 2006–07 से आज तक मीन प्रोफिट पाने के हकदार है ?

— — प्रतिवादीगण

7. अन्य अनुतोष

8. आया कि काउन्टर क्लेम बाहर मियाद प्रस्तुत किया हुआ होनें के कारण निरस्त किये जानें योग्य है ?

— — वादी

उक्त तनकीयात को सिद्ध करने हेतु वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा अपनें साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौरानें बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा अपनें वाद पत्र एवम् जबाब दावा को दोहराया बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद पत्र का निर्णय तनकीवार निम्नानुसार किया जाता है :–

1. तनकी नम्बर 1 को सिद्ध करनें का भार वादी पर था वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर जिरह का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि वादी द्वारा चक 1 डी छोटी खतौनी संख्या 20/18 मुरब्बा नम्बर 54 में किला नम्बर 17/2 के 0.126 हैक्टर कृषि भूमि वादी के दादा हनुमान के नाम दर्ज थी जिसकी वसीयत वादी के पक्ष में करवाई गई हो उस वसीयत को वादपत्र मे प्रदर्श नहीं करवाया गया है अतः वसीयत के प्रदर्श के अभाव में तनकी नम्बर 1 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाता है।
2. तनकी नम्बर 2 को सिद्ध करनें का भार वादी पर था वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर जिरह का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि वादी द्वारा ऐसा कोई राजस्व अभिलेख अपनें वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे सिद्ध हो कि वादी का वादाधीन भूमि पर कब्जा अरसा करीबन 40 साल से लगातार चला आ रहा है। इसलिये वादी मुखालकाना कब्जा के आधार पर खातेदार है। अतः तनकी नम्बर 2 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाता है।
3. तनकी नम्बर 2ए को सिद्ध करनें का भार वादी पर था वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर जिरह का अवलोकन करनें तथा तनकी नम्बर 2 का निर्णय वादी के विरूद्ध होनें चक 1 डी छोटी की खतौनी संख्या 20/18 मुरब्बा नम्बर 54 का किला नम्बर 17/1 के 0.127 हैक्टर कृषि भूमि में किसी भी प्रकार से बेजा तौर से मदालखत करनें एवम् किसी भी व्यक्ति को रहन बैय अन्य तरीके से मुन्तकिल करनें बाबत तनकी नम्बर 2ए का निर्णय भी वादी के विरूद्ध किया जाता है।
4. तनकी नम्बर 3 को सिद्ध करनें का भार प्रतिवादीगण पर था चुँकि राजस्व अभिलेख में वादाधीन भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज होनें से भूमि का प्रतिवादी संख्या खातेदार मालिक है, इस कारण तनकी नम्बर 3 का निर्णय प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में किया जाता है।
5. तनकी नम्बर 4 को सिद्ध करनें का भार वादीगण पर था वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र के अनुसार कब्जा वादीगण का है, परन्तु वादीगण द्वारा ऐसा कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे सिद्ध हो कि वादी साधिकार काबिज है, अतः तनकी नम्बर 4 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाता है।
6. तनकी नम्बर 5 को सिद्ध करनें का भार प्रतिवादीगण पर था वादाधीन भूमि मुताबिक राजस्व अभिलेख 'प्रतिवादी संख्या 4 के नाम है, जिस पर वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादीगण का कब्जा साधिकार साबित हो तथा तनकी नम्बर 4 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध होनें से तनकी नम्बर 5 का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है।
7. तनकी नम्बर 6 को सिद्ध करनें का भार प्रतिवादीगण पर था परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रदर्श नहीं करवाया जिससे सिद्ध हो की प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को भूमि ठेका पर दी गई हो अतः तनकी नम्बर 6 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

8. तनकी नम्बर 8 को सिद्ध करनें का भार वादीगण पर था वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करनें पर ही प्रतिवादी द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है इस कारण काऊन्टर क्लेम बाहर मियाद होनें की परिभाषा में नहीं आता है अतः तनकी नम्बर 8 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाता है।

चुँकि तनकी नम्बर 1, 2, 2ए तथा 4 का निर्णय वादी के विरूद्ध में तथा तनकी नम्बर 3, 4, 6, व 8 का निर्णय प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में होनें के कारण वादी का वाद पत्र खारिज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत काऊन्टर क्लेम को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है, तथा प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत काऊन्टर क्लेम को स्वीकार किया जाकर वादाधीन भूमि चक 1 डी छोटी खतौनी संख्या 20/18 मुरब्बा नम्बर 54 में किला नम्बर 17/2 के 0.126 हैक्टर का प्रतिवादी संख्या 4 रिकार्डेड खातेदार होनें के कारण भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 4 को दिलाया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर को उक्त आदेश की पालना हेतु लिखा जावे पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 04.02.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर